रीख क्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज
14/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित है। बार-बार आवाजें लगवाई गई। वादी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। चूंकि वादीपक्ष की ओर न ही वकील वादी, न ही स्वयं वादी और न ही कोई शीघ्र होकर ही उपस्थित आये। चूंकि अब समय के 05 बज चुके है। अंतिम बार आवाजें लगवाई गई, वादी पक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आये। अतः वादी के वाद को अदम हाजरी। अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली की आगेय कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जमा जिला लेखभण्डार हो। सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड ....

धारा अन्तर्गत.................................. किस्म .... मुकदमा नं०..

उनवान पत्रावली..................................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज
१७/१०/२२	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। बाद तलबी पत्रावली दिनांक १५/११/२२ को पेश हो। (हस्ताक्षर)
१५/११/२२	पत्रावली पेश हुई। चूँकि आज प्रार्थी की मूल दावा पत्रावली अदम हाजरी / अदम पैरवी में खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में इस प्रा०पत्र पत्रावली का कोई औचित्य नहीं रह गया है अतः यह प्रा०पत्र पत्रावली भी अदम हाजरी / अदम पैरवी में खारिज की जाकर प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। प्रकरण में पूर्व में दिनांक 27/11/2019 को जारी अस्थायी स्थगन आदेश निरस्त किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नक्शों से कम हो। बाद तकमील सलग्न मूल दावा पत्रावली रहे। सुनाया गया। (हस्ताक्षर)